

## प्रेस नोट

दिनांक- 14.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री इलामारन जी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 358/20 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त महेन्द्र प्रताप पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 गौरा थाना जामो जनपद अमेठी को दोष सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे.-12 सुल्तानपुर द्वारा पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपया के अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादिनी श्रीमती केशपता पत्नी हरिप्रसाद नि0 गौरा थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 18.09.2020 को समय 16:21 बजे की तहरीर सूचना के आधार पर वादिनी की 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री को अभियुक्त महेन्द्र प्रताप पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 गौरा थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने व जाने से मारने की धमकी देने की इस सूचना पर थाना जामो पर मु0अ0सं0 338/20 धारा 376,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत करके विवेचना प्र0नि0 श्री संजय कुमार सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-368 दिनांक 14.10.2020 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।